तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **अमीन वगैरह बनाम मीमा वगैरह, मुकदमा संख्या :– 83/2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
23.06.2025	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा चौरा, पटवार हल्का–चौरा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकाश्तसुदा की खातेदारी भूमि के खेत खाता संख्या 530 के खसरा नंबर 1062 रकबा 0.74 हैक्टैयर, खसरा नंबर 917 रकबा 0.97 हैक्टैयर, खसरा नंबर 918 रकबा 1.01 हैक्टेयर कुल रकबा 2.72 हैक्टेयर के आये हुए है। जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा अर्थात् 2.176 हैक्टैयर भूमि आयी हुई है जो जमाबंदी संवत् 2075–2078 से प्रमाणित है। उक्त आराजी का लगान प्रार्थीगण माफिक हिस्से अनुसार नियमानुसार अदा करते आ रहे है, तथा गिरदावरी भी प्रार्थीगण के नाम तज्वीज होती आ रही है। उक्त आराजी को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य मौके पर भू–विभाजन होना शेष है तथा राजस्व रेकर्ड में भी भूमि संयुक्त रूप से इन्द्राज है जो संलग्न जमाबन्दी से साबित है। वादग्रस्त आराजी भूमि का प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि होने से वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण का प्रत्येक इंच जमीन पर सामलाती कब्जा व हक निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 मीमा अजनवी क्रेता है जिससे बिना विभाजन करवाए हुए हक कब्जा अधिकार करने का नहीं है उसके बावजूद भी संयुक्त भूमि का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि का विधिवत भू–विभाजन कराये बिना, बिना सहमति से आराजी का विशेष खसरा व उपजाउ भूमि का बैचान, रहन, तर्क, वसीयत, गिरवी, रहन, बख्शीश वगैरह करना चाहते है जिससे ऐसा करने का इन्हें कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है तथा प्रार्थीगण के हिस्से, बंट, कब्जे की भूमि चौरा गांव से वना की ढ़ाणी जाने वाली पक्की सड़क पर स्थित है जिससे प्रार्थीगण के हक, बन्ट एवं कब्जे हिस्से एवं खातेदारी भूमि को जबरन हड़प कर प्रार्थीगण के हक, बन्ट एवं कब्जा को अजनवी व्यक्ति को बैचान कर अच्छी से अच्छी भूमि पर कब्जा करवाना चाहते है। जिससे प्रार्थीगण के हक खतरे में पड़ जाने से दावा हाजा माननीय अदालत में पेश किया जा चुका है। जिसमें प्रार्थीगण को सफल होने की पूर्ण संभावना है। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में एवं मौके पर विधिवत बंटवाड़ा नहीं होता है तब तक प्रार्थीगण को बैजा नुकशान पहुचानें हेतु उक्त संयुक्त भूमि का किसी प्रकार का रहन, बैचान, तर्क इत्यादि करने हेतु उतारू होने से रोकना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण मिट्स एवं बाण्उड्स के आधार पर बंटवाड़ा करवाने का हकदार होने से दावा बंटवाड़ा का पेश किया है। सुविधा के लिहाज से समझने के लिए वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा 'अ' पेश किया है जिसमें रास्ता की सुविधा, काश्त की सुविधा एवं उपजाउ एवं अनउपजाउ भूमि समानुपात रूप से प्रार्थीगण का हक, बन्ट एवं कब्जा नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है जिस अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज होने एवं माठे कायम होने से उक्त नक्शे अनुसार बंटवाड़ा करने का कानूनी [illegible] पेश है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–प[illegible] वाक[illegible] रमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि सरहद [illegible] चौरा पटवार हल्का चौरा तहसील–सांचौर [illegible] खातेदारी एवं कब्जाकाश्तसुदा की खातेदारी भूमि के खेत खाता [illegible]या 530 के खसरा संख्या 1062 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नंबर 917 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नंबर 918 रकबा 1.01 हैक्टेयर कुल रकबा 2.72	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण दखलन्दाजी पैदा न करें, तथा संयुक्त भूमि पर विशेष भू–भाग पर जबरन न ही कच्चा पक्का निर्माण करें तथा प्रार्थीगण को बैदखल नहीं करें तथा न ही बैचान, हस्तान्तरण, रहन करें तथा उक्त कृत्य अप्रार्थीगण न तो स्वयं करें एवं न ही अन्य किसी से करावें तथा वादग्रस्त आराजी की मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद से अंतिम निस्तारण तक बनाये रखें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें ।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा चौरा पटवार हल्का–चौरा तहसील सांचौर के खेत खसरा संख्या 1062, 917, 918 कुल रकबा 2.72 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजी की अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:15 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर